*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/निर्वा०–22–01/2017 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक–

विषयः– **नगरपालिका आम निर्वाचन, 2020 को सम्पन्न कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–2020 में कुल राशि ₹7.55120 लाख (सात लाख पचपन हजार एक सौ बीस रु०) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक– 293, दिनांक– 31.01.2020 द्वारा नगर पंचायत जनकपुर रोड का आम निर्वाचन दिनांक– 23.02.2020 को निर्धारित है एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक– 36, दिनांक– 26.02.2020 द्वारा नगर पंचायत, रिविलगंज एवं दिघवारा में पार्षदों के रिक्त पदो पर दिनांक– 09.02.2020 को चुनाव सम्पन्न कराया गया तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगर पालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक– 76, दिनांक– 25.01.2020 द्वारा नगर पंचायत, शाहपुर के वार्ड सं०– 7 के पार्षद के रिक्त पद पर चुनाव सम्पन्न कराया गया। उक्त निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने से संबंधित विपत्रों के भुगतान हेतु कुल राशि ₹7.55120 लाख (सात लाख पचपन हजार एक सौ बीस रु०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन, 2020 को सम्पन्न कराने हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ– 04 के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹7.55120 लाख (सात लाख पचपन हजार एक सौ बीस रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :–

(राशि लाख में)

क्र०सं०	नाम	अधियाचित राशि	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	6.00000	6.00000
2	जिला पदाधिकारी, सारण	0.68000	0.68000
3	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	0.87120	0.87120
	कुल योग	**7.55120**	**7.55120**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹7.55120 लाख (सात लाख पचपन हजार एक सौ बीस रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से राशि आवंटित किया जायेगा।

3. स्वीकृत राशि ₹7.55120 लाख (सात लाख पचपन हजार एक सौ बीस रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), के अंतर्गत मुख्य शीर्ष– 2015–निर्वाचन, उपमुख्य शीर्ष– 00–लघु शीर्ष–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए

प्रभार–उपशीर्ष–0001–नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव विषय शीर्ष–0001.13.01–कार्यालय व्यय, विपत्र कोड सं०– **48-2015001090001** के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

4. उपरोक्त तालिका के स्तम्भ– 4 में स्वीकृत कुल राशि ₹7.55120 लाख (सात लाख पचपन हजार एक सौ बीस रु०) मात्र की निकासी, **जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सीतामढ़ी, सारण एवं भोजपुर द्वारा निर्वाचन कार्य से संबंधित प्राप्त विपत्रों के विरूद्ध BTC- 25 में की जाएगी।** राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019 एवं पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. **क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदनोपरांत भुगतान किया जाएगा।**

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

7. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक– 31.03.20 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/निर्वा०–22–01/2017 के पृष्ठ सं०– 49/टि० पर दिनांक– 19.2.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 51/टि० पर दिनांक– 20.2.20 को प्राप्त है।

9. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/निर्वा०–22–01/2017 221 /न०वि०एवंआ०वि० /पटना, दिनांक– 24/2/2020

प्रतिलिपि:– सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/वित्त (बजट शाखा), विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

24.02.2020

सरकार के विशेष सचिव।